

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूजीपीसी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(ग्वालियर)
2442462 (विकास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
juresg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2717

दिनांक 30-11-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30 जून, 2015 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार जय माता दी महाविद्यालय, मुरैना को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.बी.ए., बी.सी.ए., बी.कॉम. बी.एस-सी. (आ.पा., फिजीक्स, कैमिस्ट्री, बॉटनी अतिरिक्त विषय- जुलॉजी, कम्प्यूटर साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, मैथ), बी.एच.एस-सी, पी.जी.डी.सी.ए., बी.ए. (आ.पा., राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, ज्योग्राफी), एम.कॉम. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. महाविद्यालय अपना स्वयं का भवन का निर्माण करे।
2. पुस्तकें पाठ्यक्रम अनुरूप क्रय करे।
3. प्रयोगशालाओं का निर्माण कराये, उपकरण क्रय किये जायें।
4. प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकालय अध्यक्ष तथा क्रीडा अधिकारी की नियुक्ति की जायें।
5. शिक्षकों व अन्य स्टाफ को वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किया जायें।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, जय माता दी महाविद्यालय, मुरैना।
1. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
3. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिष्ठाता,

महाविद्यालयीय विकास परिषद्